रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 2—अनुभाग 1क

PART II—Section 1A

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, बुधवार, 7 अगस्त, 1974/16 श्रावण, 1896 (शक) [खण्ड X
No. 22] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 1974/ SRAVANA 16, 1896 (SAKA) Vol. X

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS
(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, August 7, 1974/Sravana 16, 1896 (Saka)

The following translation in Hindi of the Personal Injuries (Emergency Provisions) Act, 1962 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963) :—

वैयक्तिक क्षति (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1962

(1962 का अधिनियम सं० 59)

[19 दिसम्बर, 1962]

आपात की कालावधि के दौरान हुई कुछ शारीरिक क्षतियों की बाबत राहत देने का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेरहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वैयक्तिक क्षति (आपात उपबन्ध) अधिनियम, 1962 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह 26 अक्तूबर, 1962 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) "नागरिक सुरक्षा संगठन" से नागरिक सुरक्षा के प्रयोजनार्थ स्थापित कोई ऐसा संगठन अभिप्रेत है जिसे कोई स्कीम इस अधिनियम तथा स्कीम के प्रयोजनार्थ नागरिक सुरक्षा संगठन घोषित करे ;

(2) किसी क्षति के संबंध में "नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में यह बात कि वह उस संगठन का सदस्य उस समय था जब क्षति हुई, नागरिक सुरक्षा संगठन के ऐसे अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर दी जाए जो ऐसा प्रमाणपत्र देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत हो ;

1—M409Law/74

(3) "शत्रु" से अभिप्रेत है—

(i) कोई व्यक्ति या देश जो भारत के विरुद्ध बाह्य अभ्याक्रमण करता है;

(ii) ऐसा अभ्याक्रमण करने वाले देश का कोई व्यक्ति;

(iii) अन्य ऐसा देश जिसे केन्द्रीय सरकार ऐसा अभ्याक्रमण करने वाले देश की सहायता करता घोषित करे;

(iv) ऐसे अन्य देश का कोई व्यक्ति ;

(4) "अभिलाभपूर्वक लगे हुए व्यक्ति" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यापार, कारबार, वृत्ति, पद, नियोजन या उपजीविका में लगा हुआ है तथा जीविका के लिए उस पर संपूर्णतः या सारतः निर्भर है अथवा ऐसा व्यक्ति जो अस्थायी तौर पर किसी काम पर न लगा हुआ होते हुए भी सामान्यतः इस प्रकार लगा हुआ और निर्भर रहता है;

(5) "आपात की कालावधि" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 352 के खण्ड (1) के अधीन,—

(i) 26 अक्तूबर, 1962 को निकाली गई आपात की उद्घोषणा के सम्बन्ध में, 26 अक्तूबर, 1962 को आरंभ होने वाली तथा 10 जनवरी, 1968 को (अर्थात्, उस तारीख को जिसको भारत सरकार के गृह मंत्रालय की तारीख 10 जनवरी, 1968 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 93, द्वारा उक्त आपात की समाप्ति की घोषणा की गई) समाप्त होने वाली कालावधि;

(ii) 3 दिसम्बर, 1971 को निकाली गई आपात की उद्घोषणा के सम्बन्ध में, 3 दिसम्बर, 1971 को आरंभ होने वाली तथा उस तारीख को, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख घोषित करे जिसको आपात समाप्त हो जाएगा, समाप्त होने वाली कालावधि;

(6) "शारीरिक क्षति" से अभिप्रेत है शरीर या मस्तिष्क की ऐसी क्षति या ऐसा रोग (चाहे वह तुरन्त प्रकट हो या बाद में) जिसका कारण निम्नलिखित में से हो:—

(क) शत्रु द्वारा, या शत्रु का मुकाबला करने में, या शत्रु के कल्पित आक्रमण को पीछे ढकेलने में निम्नलिखित कोई कार्य :—

(i) कोई प्रेक्षपास्त्र (जिसके अन्तर्गत तरल या गैस या दोनों हैं) चलाना; अथवा

(ii) किसी अस्त्र, विस्फोटक या अन्य अपायकर वस्तु का प्रयोग; अथवा

(iii) कोई अन्य क्षतिकर कार्य ;

(ख) किसी शत्रु के वायुयान का या भारत सरकार के अथवा किसी व्यक्ति द्वारा भारत सरकार या किसी मित्र राष्ट्र की ओर से या उसके फायदे के लिए धारित किसी वायुयान का या ऐसे किसी वायुयान के किसी भाग का या उससे गिराई गई किसी वस्तु का किसी व्यक्ति या संपत्ति पर समाघात; अथवा

(ग) कोई विस्फोट या आग जिसमें ऐसे विस्फोटक या गोला-बारूद या अन्य खतरनाक वस्तुएं अन्तर्ग्रस्त हों जो शत्रु के विरुद्ध रक्षा के प्रयोजनार्थ अपेक्षित हों तथा जो विस्फोट या आग ऐसे किसी विस्फोटक, गोला-बारूद या अन्य खतरनाक वस्तु के विनिर्माण, भण्डारकरण या परिवहन से या उसके कारण या उसके सम्बन्ध में घटित या कारित हो;

(7) नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के सम्बन्ध में "शारीरिक सेवा-क्षति" से अभिप्रेत है कोई शारीरिक या मानसिक क्षति अथवा कोई रोग (चाहे वह तुरन्त प्रकट हो या बाद में) जिसके बारे में केन्द्रीय सरकार को अथवा स्कीम के अधीन संदाय करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी को समाधान प्रदान करने वाले रूप में यह दर्शित कर दिया जाए कि जिस नागरिक सुरक्षा संगठन का सदस्य वह स्वयंसेवक उस समय था जब क्षति हुई या रोग लगा उसके सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने से तथा उसके दौरान उसे वह क्षति हुई या रोग लगा तथा (शारीरिक क्षति को छोड़कर) वह क्षति या रोग उसके किसी अन्य हैसियत में नियोजन से या उसके दौरान नहीं हुई या लगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार अथवा स्कीम के अधीन संदाय करने के लिए प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी का इस प्रकार समाधान होने के पूर्व वह उस नागरिक सुरक्षा संगठन से, जिसका सदस्य संबंधित स्वयंसेवक उस समय तथा जब क्षति हुई या रोग लगा प्रश्नगत क्षति या रोग के बारे में एक रिपोर्ट प्राप्त कर लेगा जो उस संगठन के ऐसे अधिकारी द्वारा हो जो ऐसी रिपोर्ट देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत हो;

(8) "स्कीम" से इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कीम अभिप्रेत है।

शारीरिक क्षतियों और शारीरिक सेवा-क्षतियों की बाबत राहत के लिए स्कीमें बनाने की शक्ति।

3. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार एक या अधिक स्कीमें बना सकेगी जो आपात की कालावधि के दौरान निम्नलिखित क्षतियों की बाबत राहत देने के लिए उपबन्ध करें, अर्थात्:—

(क) (ऐसे अपवादों सहित, यदि कोई हों, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं) अभिलाभपूर्वक लगे हुए व्यक्तियों को तथा ऐसे अन्य वर्गों के व्यक्तियों को जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जाएं, शारीरिक क्षतियां, तथा

(ख) नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को हुई शारीरिक सेवा क्षतियां :

परन्तु आपात की भिन्न-भिन्न कालावधियों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न स्कीमें बनाई जा सकेंगी।

(2) स्कीम केन्द्रीय सरकार को या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी कि वह उन व्यक्तियों को या उनकी बाबत जो किसी क्षति या रोग के कारण क्षतिग्रस्त, रोगग्रस्त, या निःशक्त हो गए हों स्कीम के अधीन निम्नलिखित संदाय ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं, करें:—

(क) अस्थायी भत्ते के रूप में संदाय जो केवल तब तक संदेय होगा जब तक क्षतिग्रस्त या रोगग्रस्त व्यक्ति काम करने में उस क्षति या रोग के कारण असमर्थ हो और उसे खण्ड (ख) में वर्णित प्रकार का कोई संदाय न मिला हो ;

(ख) अस्थायी भत्ते से भिन्न प्रकार के संदाय केवल वहां संदेय होंगे जहां क्षति या रोग के कारण गंभीर और दीर्घकालीन या स्थायी निःशक्तता हो जाए या मृत्यु हो जाए; तथा

(ग) कृत्रिम अंग अथवा शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी या अन्य उपकरण खरीदने या सरकार के व्यय से दिए जाने के लिए संदाय तथा चिकित्सीय और शल्य-चिकित्सीय उपचार के लिए संदाय।

(3) स्कीम केन्द्रीय सरकार को स्कीम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बनाने की शक्ति प्रदान कर सकेगी।

(4) स्कीम में यह उपबन्ध हो सकेगा कि वह उस तारीख को, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, प्रवर्तन में आएगी या प्रवर्तन में आई समझी जाएगी।

(5) केन्द्रीय सरकार स्कीम को किसी भी समय संशोधित या विखंडित कर सकेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार अथवा स्कीम के अधीन संदाय करने के लिए सशक्त किसी प्राधिकारी के स्कीम के अधीन संदाय किए जाने, संदाय की रकम से इन्कार करने या किसी संदाय के चालू रखे जाने या बन्द किए जाने की बाबत कोई आदेश, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार अथवा ऐसे प्राधिकारी के पश्चात्वर्ती विनिश्चय द्वारा समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा और ऐसे परिवर्तन के अधीन रहते हुए वह अंतिम होगा।

(7) स्कीम तथा स्कीम के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य-शीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक ठीक बाद के सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, जिसमें वह स्कीम या विनियम इस प्रकार रखा गया हो, या पूर्वोक्त बाद के सत्रों के अवसान के पूर्व दोनों सदन इस स्कीम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह स्कीम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु स्कीम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रतिकर या नुकसानी की देनदारी से राहत।

4. (1) आपात की कालावधि के दौरान किसी व्यक्ति को हुई किसी शारीरिक क्षति की बाबत तथा उस कालावधि के दौरान किसी नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक को हुई किसी शारीरिक सेवा-क्षति की बाबत कोई ऐसा प्रतिकर या ऐसी नुकसानी क्षतिग्रस्त या किसी अन्य व्यक्ति को संदेय न होगी जो इस उपधारा के उपबन्धों के अतिरिक्त—

(क) निम्नलिखित के अधीन संदेय होती—

(i) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, अथवा 1923 का 8

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, अथवा 1948 का 34

(ख) किसी अधिनियमिति के बल पर अथवा किसी संविदा या विधि का बल रखने वाली किसी रूढ़ि या प्रथा के बल पर—

(i) शारीरिक क्षति की दशा में किसी व्यक्ति द्वारा, अथवा

(ii) नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक को हुई शारीरिक सेवा-क्षति की दशा में उस स्वयंसेवक के नियोजक द्वारा अथवा उस व्यक्ति द्वारा जो स्वयंसेवक के उस रूप में कर्तव्यों के सम्बन्ध में उत्तरदायी हो या किसी अन्य नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक द्वारा,

इस आधार पर संदेय हो कि प्रश्नगत क्षति किसी ऐसी उपेक्षा, न्यूसेन्स या कर्तव्य-भंग के कारण हुई जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसके द्वारा प्रतिकर या नुकसानी संदेय हो, उत्तरदायी था।

(2) किसी अधिनियमिति द्वारा अपेक्षित समय के भीतर सूचना देने या दावा करने या कार्रवाई प्रारंभ करने में असफलता के कारण किसी शारीरिक क्षति या किसी शारीरिक सेवा-क्षति की बाबत कार्यवाही चलाने में कोई रुकावट उस दशा में न होगी जब—

(क) स्कीम के अधीन संदाय के लिए आवेदन केन्द्रीय सरकार या अन्य ऐसे प्राधिकारी से सम्यक् रूप से कर दिया गया हो जो उस क्षति की बाबत स्कीम के अधीन संदाय करने के लिए सशक्त हो; तथा

(ख) जिस न्यायालय अथवा प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही की जाए उसका समाधान हो जाए कि उक्त आवेदन इस उचित विश्वास के साथ किया गया कि क्षति इस प्रकार की है जिसके लिए संदाय स्कीम के अधीन किया जा सकता है; तथा

(ग) केन्द्रीय सरकार या स्कीम के अधीन संदाय करने के लिए सशक्त अन्य प्राधिकारी प्रमाणित कर दे कि आवेदन इस आधार पर खारिज किया गया अथवा आवेदन के अनुसरण में किए जाने वाले संदाय इस आधार पर बन्द किए गए कि वह क्षति ऐसी नहीं थी; तथा

(घ) कार्यवाही उक्त प्रमाणपत्र की तारीख से एक मास के भीतर प्रारम्भ कर दी जाए ।

उपार्जनों की बाबत जानकारी ।

5. (1) जहां किसी शारीरिक क्षति या शारीरिक सेवा-क्षति की बाबत किसी स्कीम के अधीन किए जाने वाले किसी संदाय की रकम अवधारित करने के लिए यह आवश्यक हो कि क्षतिग्रस्त व्यक्ति के, उस शारीरिक क्षति या शारीरिक सेवा-क्षति होने के पूर्व के उपार्जनों का अभिनिश्चय किया जाए वहां केन्द्रीय सरकार अथवा स्कीम के अधीन संदाय करने के लिए प्राधिकृत अन्य प्राधिकारी लिखित सूचना द्वारा—

(क) किसी व्यक्ति से, जो उस कालावधि के दौरान क्षतिग्रस्त व्यक्ति का नियोजक रहा हो, अथवा

(ख) ऐसे क्षतिग्रस्त व्यक्ति के उस कालावधि के दौरान की वित्तीय परिस्थितियों की बाबत जानकारी रखने वाले व्यक्ति से,

यह अपेक्षा कर सकेगा कि सूचना के अनुसरण में वह उन उपार्जनों या परिस्थितियों की बाबत अपनी कोई जानकारी प्रकट करे और सूचना में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के समक्ष कोई ऐसी पुस्तक, अभिलेख या अन्य दस्तावेज पेश करे जो उसके कब्जे में हो और जिसमें उन उपार्जनों की बाबत प्रविष्टियां हों ।

(2) यदि कोई व्यक्ति—

(क) ऐसी किसी सूचना की अपेक्षाओं का पालन नहीं करेगा, अथवा

(ख) ऐसी किसी सूचना के तात्पर्यित पालन में जानते हुए या बिना सोचे-विचारे कोई असत्य कथन या असत्य अभ्यावेदन करेगा या कोई ऐसा दस्तावेज पेश करेगा जिसका तात्त्विक अंश मिथ्या हो या जो धोखा देने के लिए प्रकल्पित हो,

वह जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

औषधालयों और चिकित्सालयों में चिकित्सीय परिचर्या ।

6. (1) किसी औषधालय या चिकित्सालय का प्रबन्ध करने वाला व्यक्ति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर,—

(क) उस औषधालय या चिकित्सालय में उन व्यक्तियों के लिए चिकित्सीय या शल्य-चिकित्सीय उपचार की व्यवस्था करेगा जिन्हें धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार की क्षति हुई हो, तथा

(ख) ऐसी क्षति के लिए उपचार किए गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में ऐसे अभिलेख रखेगा और ऐसी विवरणियां देगा जिनकी अपेक्षा स्कीम द्वारा या उसके अधीन की जाए ।

(2) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबन्धों का अनुपालन, अपेक्षा की जाने पर नहीं करेगा तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

मिथ्या कथन के लिए शास्ति ।

7. जो व्यक्ति अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए स्कीम के अधीन कोई संदाय या अनुदान प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ कोई असत्य कथन या असत्य अभ्यावेदन जानते हुए करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा ।

समनुदेशन या भारों का शून्य होना ।

8. स्कीम के अधीन किए गए या किए जाने वाले किसी संदाय का समनुदेशन या उसे भारित करना या उसे समनुदेशित या भारित करने का करार शून्य होगा और जिस व्यक्ति के लिए ऐसा संदाय अधिनिर्णीत किया गया हो, उसके दिवालिया हो जाने पर ऐसा संदाय न्यासी या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलेगा जो लेनदारों की ओर से कार्य कर रहा हो ।

के० के० सुन्दरम्,
सचिव, भारत सरकार ।

219G73
409Mof Law/7 ,—325—21-12-74—GIPF.